जागरण ब्यूरो, पटना

काफी इंतजार के पश्चात राज्य सरकार ने सोमवार को अंतत: लोकायुक्त की नई नियमावली जारी कर दी। नई नियमावली में लोकायुक्त को अंतरिम रूप से सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। 1980 में बनी बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली निरस्त कर दी गई है।

अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल बिल के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के समय लोकायुक्त के लिए नई नियमावली के गठन की बात कही गई थी। राज्य सरकार ने कहा था कि अन्य किसी राज्य से बेहतर लोकायुक्त नियमावली बनाई जाएगी।

खास बातें

-लोकायुक्त के समक्ष परिवाद की अर्जी दाखिल करने के लिए न्यायिक स्टाम्प में 100 रुपये की फीस दी जाएगी।

-किसी मामले में उचित समझा जाएगा तो लोकायुक्त फीस का उद्ग्रहण छोड़ सकेंगे।

-शपथ पत्र फर्स्ट परसन में लिखा होना चाहिए। यह शपथ किसी न्यायिक दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या लोकायुक्त के सचिव या शपथ दिलाने के लिए लोकायुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष लिया जाएगा।

-दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में एक सूची संलग्न की जानी चाहिए।

-लोकायुक्त के कार्यालय में परिवाद की प्राप्ति के बाद लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी इसकी जांच करेगा।

-परिवाद नियमानुसार नहीं होने या त्रुटिपूर्ण होने पर परिवाद का पंजीकरण स्थगित कर दिया जाएगा।

-परिवाद की एक प्रति संबंधित लोक सेवक और संबंधित सक्षम प्राधिकार को भेजी जाएगी।

-संबंधित लोक सेवक को ऐसे परिवाद पर अपनी टिप्पणी देने का अवसर देगी।

-अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों को सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में वैसा आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

-जिस लोकसेवक के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया गया हो , उसे विहित प्रपत्र में नोटिस जारी की जाएगी। साथ ही परिवाद की एक प्रति भी उसे भेजी जाएगी।

-नोटिस निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ प्राप्त रसीद लेकर या उस पदाधिकारी के माध्यम से जिसके अधीन वह लोक सेवक काम कर रहा हो, के माध्यम से भेजी जाएगी। या सक्षम प्राधिकार के माध्यम से।

-अन्वेषण से प्रभावित होने वाले लोक सेवक की पहचान जनता को या प्रेस को न तो अन्वेषण के पूर्व, न उसके दौरान और न ही उसके पश्चात ही प्रकट की जाएगी।

-परन्तु, लोकायुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई अन्वेषण खुलेआम कर सकेगा।

-लोकायुक्त अपने विवेक से किसी परिवाद का अन्वेषण करने से इन्कार कर सकेगा या अन्वेषण बंद कर सकेगा। यह तब होगा जब परिवाद तुच्छ या तंग करने वाला हो , पर्याप्त आधार न हो अथवा अन्य उपचार उपलब्ध हो।

-अगर लोक सेवक अपना उत्तर दाखिल करने या टिप्पणी देने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होगा , या दिए गए समय के अंदर ऐसा नहीं करेगा , तो परिवाद की सुनवाई उसकी अनुपस्थिति में की जा सकेगी।

-इस नियमावली से पूर्व दाखिल किए गए परिवाद इस नियमावली के अधीन दाखिल किए गए परिवाद समझे जाएंगे।

-लोकायुक्त विशेष मामले में दूभाषिया नियुक्त कर सकेंगे।

-कोई भी व्यक्ति लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाही के किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

-लेकिन, लोकायुक्त अंतिम आदेश या उसके उस अंश की जिसे वह उचित समझे, प्रमाणित प्रति देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

-विशेष मामलों में लोकायुक्त लिखित आदेश द्वारा अंतरिम रूप से सम्पत्ति का 90 दिनों के लिए कुर्क कर सकेगा।